

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1214  
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन और मछुआरों की आजीविका

**1214. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना मछुआरों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में मात्रात्मक सर्वेक्षण कराने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मछुआरों के लिए ईंधन संबंधी राजसहायता में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मछुआरा समुदायों को पूँजी और तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए तटीय जलकृषि में वृद्धि करने हेतु योजनाएं आरंभ करने पर विचार / प्रस्ताव कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री  
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्रिकी अनुसंधान संस्थाएं मात्रिकी और जलीय कृषि के स्थायित्व (स्टेनेबिलिटी) के लिए जलवायु लचीली (क्लाईमेट रेसीलिएन्ट) रणनीति विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए नियमित रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। "नेशनल इनोवेशन इन क्लाईमेट रेसीलिएन्ट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए)" के तहत आईसीएआर संस्थानों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर किए गए अध्ययनों में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और केरल में आर्द्धभूमि मत्स्यपालन की भेदता (वल्लेरेबिलिटी) का आकलन; भारत भर में प्रमुख नदी घाटियों में जलवायु प्रवृत्ति विश्लेषण; मछलियों के डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पर प्रभाव, कैच की संरचना, यील्ड आदि पर प्रभाव शामिल हैं। समुद्री मात्रिकी में, जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन परिवृश्यों के तहत फिश कैच और समुद्री कृषि उत्पादन का अनुमान, समुद्री मात्रिकी में रिस्क और वल्लेरेबिलिटी की जांच, आर्द्धभूमि मानचित्रण, कार्बन फुटप्रिंट, ब्लू कार्बन पोटेनशियल, महासागर अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन के अनुसार कैचर और कल्चर प्रजातियों की प्रतिक्रिया और एनआईसीआरए प्रोजेक्ट के तहत जलवायु परिवर्तन के आलोक में एडेपटिव मेनेजमेंट पर अध्ययन किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति मछुआरों की तैयारी और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में जलवायु अभियान और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश लद्धाख ने बताया कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्धाख के मछुआरों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पर मात्रात्मक सर्वेक्षण के संचालन के संबंध में डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वॉटर फिशरीस रिसर्च (डीसीएफआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि देश में डीजल की कीमतें 19.10.2014 से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। इसके साथ ही, विभिन्न तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्यन समुदायों के लिए डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी/कर छूट या प्रतिपूर्ति प्रदान करने के विभिन्न तंत्र मौजूद हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि 1 मार्च, 2020 से पीडीएस केरोसिन की रीटेल बिक्री कीमत अखिल भारतीय स्तर पर निल अंडर-रिकवरी स्तर पर बनाए रखी जा रही है।

(ग) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित तटीय समुदायों की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमेन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में चिह्नित किया है। यह कार्यक्रम सी वीड कल्टीवेशन, आरटीफिशियल रीफ्स, सी रेंचिंग और हरित ईंधन को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से क्लाईमेट-रेसीलिएन्ट फिशरीस को बढ़ावा देता है। मछुआरों और फिशिंग वेसल्स के लिए सुरक्षा और बचाव उपाय, सजावटी मत्स्य पालन जैसी आर्थिक गतिविधियाँ, तथा बीमा, आजीविका और पोषण सहायता जैसे सपोर्ट प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। पहचाने गए कोस्टल फिशरमन विल्लेजस में आवश्यकता-आधारित सुविधाओं संबंधी गतिविधियाँ हैं जिनमें मछली सुखाने के यार्ड, मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र, मत्स्य बाजार, फिशिंग जेटीस, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और आपातकालीन बचाव सुविधाएँ जैसी सामान्य सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित/सपोर्ट की गई समुद्री जलकृषि (मैरीकल्चर) में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से समुद्री जलकृषि (मैरीकल्चर) के संवर्धन में योगदान दे रहा है।

\*\*\*\*\*